(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1941–दो/2012 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 5–6–2012– पारित द्वारा – अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर – प्रकरण नम्बर 31/11–12 निगरानी

अशोक कुमार पुत्र प्रेमनारायण
ग्राम ढाकोनी तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

प्रेमनारायण पुत्र रामचरण
ग्राम ढाकोनी तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है)

आ दे श

(आज दिनांक 2 – 11 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 31/11–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05–06–2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदक ने तहसीलदार ईसागढ़ को आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम नरसूखेड़ी की भूमि सर्वे नंबर 207/1, रकबा 0.010 हैक्टर, 439/2 रकबा 1.045 हैक्टर में से 1/2 भाग

तथा ग्राम ढाकोनी की भूमि सर्वे नंबर 747/1 रकबा 2.926 हैक्टर में हिस्सा 1/2 पर पिछले 17 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है इसलिये शासकीय अभिलेख में उसका कब्जा दर्ज किया जाय। तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 1 अ 6 अ/2011-12 पंजीबद्ध किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 16-11-2006 से कार्यवाही प्रारंभ की। इसी अंतरिम आदेश से के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 31/2011-12 में सुनवाई के दौरान यह तथ्य बताया गया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अशोकनगर के न्यायालय में दीवानी दावा पक्षकारों के बीच प्रचलित हुये प्रकरण कमांक 80 ए/ 2011 में पारित आदेश दिनांक 24-10-11 से निर्णीत हुआ है। अपर कलेक्टर अशोकनगर ने उभय पक्ष की सुनवाई कर आदेश दिनॉक 5-6-12 पारित किया तथा व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी होने से तहसीलदार के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत प्रचलित दावा श्रवण योग्य न होने से तहसीलदार ईसागढ़ का प्रकरण कमांक 1 अ 6 अ/11-12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-11-2011 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को के दौरान बताया है कि तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रथम आर्डरशीट लिखते हुये प्रकरण पंजीबद्ध करके राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी से रिपोर्ट लिये जाने के निर्देश दिये थे, किन्तु अनावेदक ने अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी पेश कर दी। अपर कलेक्टर अशोकनगर ने वास्तविक स्थिति की जॉच किये एंव कराये बिना आलोच्य आदेश पारित करके तहसीलदार के जॉच वावत् दिये गये आदेश को निरस्त करने में गलती की है क्योंकि जॉच से ही वास्तविक

स्थिति का पता चल सकता था इसलिये अपर कलेक्टर का विसंगतिपूर्ण आदेश निरस्त किया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह पाई गई है कि जब उभय पक्ष के बीच वाद विचारित भूमि को लेकर आवेदक ने व्यवहार न्यायालय में स्वत्व घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दायर किया है जिसमें वाद विचारित भूमि पर आवेदक व्दारा प्रस्तुत दावा कमांक 80 ए/ 2011 में पारित आदेश दिनांक 24-10-11 से स्वत्व घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण निरस्त कर दिया है । ऐसी स्थिति में उसी भूमि पर राजस्व न्यायालय से आवेदक के नाम की कब्जा यावत् खसरा प्रविष्टि करना माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के विपरीत कार्यवाही होगी, जिसके कारण अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 31/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05-06-2012 से लिया गया निर्णय सही होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 31/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-6-2012 सही पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर